न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, अजमेर

पीठासीन अधिकारी, श्री बी.एल.मेहरड़ा, आर0ए0एस0

अपील संख्या :–353/2016(2016/00353)/225/अजमेर

1. मदन सिंह पुत्र जोर सिंह जाति राजपूत निवासी भांवता तहसील व जिला अजमेर ।
2. श्रीसिंह पुत्र जोर सिंह जाति राजपूत निवासी भांवता तहसील व जिला अजमेर।

अपीलांटस

बनाम

1. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार, अजमेर।
2. अजमेर विकास प्राधिकरण, अजमेर जरिये सचिव, अजमेर विकास प्राधिकरण, अजमेर जिला अजमेर ।
3. गुमान सिंह पुत्र जोर सिंह जाति राजपूत निवासी भांवता तहसील व जिला अजमेर ।
4. श्रीमती सुगन कंवर पत्नी स्व0 रीढ़मल सिंह राजपूत निवासी भांवता तहसील व जिला अजमेर ।

रेस्पोडेन्टस

अपील अन्तर्गत धारा 225 राज.काश्तकारी अधिनियम 1955 विरूद्ध निर्णय विद्वान सहायक कलक्टर (मुख्यालय), अजमेर दिनांक 11.07.2016, प्रकरण संख्या 63/2015

उपस्थितः–

1. श्री निर्मल कुमार जैन अपीलांटस की ओर से।
2. श्रीधर्मवीर चौधरी राजकीय अभिभाषक रेस्पो.संख्या 01 की ओर से।
3. श्रीरामकिशोर खदाव, एड़वोकेट रेस्पोडेन्ट संख्या 02 की ओर से।
4. रेस्पोडेन्ट संख्या 03, 04 अनुपस्थित।

आदेश

दिनांकः 26.09.2018

01. यह अपील विद्वान सहायक कलक्टर (मुख्यालय), अजमेर के आदेश दिनांक 11.07.2016 के विरूद्ध प्राप्त हुई हैं।

02. संक्षेप में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार है कि वादीगण/अपीलांट ने अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष एक वाद धारा 88 राज.काश्तकारी अधिनियम विरूद्ध प्रतिवादीगण पेश कर कथन किया कि ग्राम भांवता तहसील अजमेर स्थित वर्किंग जमाबंदी सम्वत 2041 के खाता नम्बर 1264 रकबा 05–10.00 के खातेदार रीढूमल सिंह, गुमानसिंह, मदनसिंह एवं श्री सिंह पुत्रगण जोरसिंह जाति राजपूत दर्ज हैं। इनमें से रीढ़मल सिंह का स्वर्गवास हो चुका हैं जिनके वारिस प्रफोमा प्रतिवादी संख्या 04 श्रीमती सुगन कंवर है उसके द्वारा उनके 1/4 हिस्से की भूमि को जरिये पंजीबद्ध हक त्याग दिनांक 11.06.2001 कर दिया तथा हक त्याग के अनुसार वादीगण एवं प्रफोमा प्रतिवादी संख्या 03 गुमान सिंह वर्णित भूमि के 1/3 हिस्सा के सहिस्सेदार काबिज काश्त हैं इसी अनुसार वादीगण/प्रतिवादीगण संख्या 03 को खातेदार घोषित किया जाने एवं वर्तमान जमाबंदी में खातेदार इन्द्राज दर्ज किया जावें। वाद पत्र के अनुसार प्रार्थीगण/वादीगण ने प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राज. काश्तकारी अधिनियम प्रस्तुत कर कथन किया कि अप्रार्थीगण को पाबंद

राजस्व अपील प्राधिकारी
अजमेर

किया जावें कि प्रार्थीगण के कब्जेकाश्त में दखलदांजी नहीं करें एवं विवादित आराजी का आवंटन/नियमन अन्य को नहीं किया जावें। अधीनस्थ न्यायालय के द्वारा दिनांक 11.07.2016 को प्रार्थना पत्र खारिज कर दिया, जिससे व्यथित होकर अपीलांट ने यह अपील न्यायालय हाजा के समक्ष प्रस्तुत की है।

3. अपील प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर किया गया। रेस्पोडेन्टस को जरिये नोटिस तलब किया गया। रेस्पोडेन्ट संख्या 01, 2 की ओर से उनके अभिभाषक उपस्थित हुए। अधीनस्थ न्यायालय का रिकार्ड तलब किया गया तत्पश्चात अभिभाषक उभय पक्ष की बहस सुनी गई।

4. अभिभाषक अपीलांट ने दौराने बहस निवेदन किया कि ग्राम भांवता तहसील अजमेर स्थित वर्किंग जमाबंदी सम्वत 2041 के खाता नम्बर 1264 रकबा 05–10.00 के खातेदार रीढ़ूमल सिंह, गुमानसिंह, मदनसिंह एवं श्री सिंह पुत्रगण जोरसिंह जाति राजपूत दर्ज हैं। इनमें से रीढ़मल सिंह का स्वर्गवास हो चुका हैं जिनके वारिस प्रफोमा प्रतिवादी संख्या 04 श्रीमती सुगन कंवर है उसके द्वारा उनके 1/4 हिस्से की भूमि को जरिये पंजीबद्ध हक त्याग दिनांक 11.06.2001 कर दिया तथा हक त्याग के अनुसार वादीगण एवं प्रफोमा प्रतिवादी संख्या 03 गुमान सिंह वर्णित भूमि के 1/3 हिस्सा के सहिस्सेदार काबिज काश्त हैं। अपीलाधीन भूमि सिवायचक दर्ज है एवं रेस्पोडेन्ट संख्या 02 के नाम दर्ज हैं इस कारण रेस्पोडेन्ट संख्या 02 एवं उनके अधीनस्थ अधिकारीगण, कर्मचारीगण भूमि से अपीलांट को बेदखल करने पर आमादा हैं एवं भूमि को अन्यत्र आवंटन/नियमन करने पर आमादा हैं । अधीनस्थ न्यायालय ने प्रस्तुत प्रार्थना पत्र को अपीलार्थीगण को बिना सूचित किए एवं बिना नोटिस दिये आदेश पारित किये हैं एवं प्रार्थना पत्र अस्थायी निषेधाज्ञा के तीनों बिन्दुओ का विवेचन किये पारित किया हैं जो त्रुटि पूर्ण हैं। न्यायालय हाजा से अनुरोध है कि अपील अपीलांट स्वीकार की जाकर रेस्पोडेन्ट संख्या 01, 02 को जरिये अस्थायी निषेधाज्ञा से पाबंद किया जावें कि भूमि का अन्यत्र आवंटन/नियमन नहीं करे एवं भूमि से अपीलांट को बेदखल नहीं करें।

5. रेस्पोडेन्ट संख्या 01 की ओर से राजकीय अभिभाषक ने दौराने बहस निवेदन किया कि वर्तमान में विवादित आराजी सिवायचक दर्ज हैं और अपीलांट एवं रेस्पोडेन्ट संख्या 03, 04 अतिक्रमी हैं इसलिए अधीनस्थ न्यायालय के द्वारा पारित आदेश विधि सम्मत हैं। अपीलांट द्वारा प्रस्तुत अपील को खारिज की जावें।

6. रेस्पोडेन्ट संख्या 02 के अभिभाषक ने रेस्पोडेन्ट संख्या 01 के राजकीय अभिभाषक के कथनो का सही बताते हुए कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय का आदेश विधि सम्मत हैं और अपीलांट द्वारा प्रस्तुत अपील को खारिज की जावें।

7. अभिभाषक उभय पक्ष की बहस पर मनन किया गया एवं प्रस्तुत अपील एवं अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली का अवलोकन किया गया। ग्राम भांवता तहसील अजमेर स्थित वर्किंग जमाबंदी सम्वत 2041 के खाता नम्बर 407 के खसरा नम्बर 1263 रकबा 09–15–00 एवं खसरा नम्बर 1264 रकबा 05–10–00 के खातेदार रीढ़मल सिंह, गुमानसिंह, मदनसिंह एवं श्री सिंह पुत्रगण जोर सिंह जाति राजपूत दर्ज थी किन्तु भू–प्रबन्ध विभाग, अजमेर के द्वारा वर्किंग जमाबंदी के इन्द्राज के प्रतिकूल वर्तमान जमाबंदी में सिवायचक दर्ज कर दी गई। उक्त भूमि बाबत् घोषणा का वाद अधीनस्थ न्यायालय सहायक कलक्टर (मुख्यालय), अजमेर के समक्ष विचाराधीन हैं। अधीनस्थ न्यायालय सहायक कलक्टर (मुख्यालय), अजमेर ने अपीलांट को बिना सूचित किये एवं बिना सुनवाई का अवसर दिये अपीलाधीन आदेश पारित किये हैं। वर्तमान में प्रस्तुत दस्तावेज से अपीलांट के पक्ष में प्रथम दृष्टया प्रकरण बनना एवं अपूरणीय क्षति का बिन्दु निहित हैं। अतः अपील अपीलांट स्वीकार

राजस्व अपील प्राधिकारी
अजमेर

की जाती हैं एवं विद्वान सहायक कलक्टर (मुख्यालय), अजमेर के आदेश दिनांक 11.07.2016 को निरस्त किया जाता हैं एवं ग्राम भावंता तहसील अजमेर के खसरा नम्बर 1263 रकबा 09–15–00 बीघा एवं खसरा नम्बर 1264 रकबा 05–10–00 बीघा की ताफैसला वाद राजस्व रेकार्ड एवं मौके की यथास्थिति बनायी रखी जाती हैं। मिसल फैसलशुमार होकर दाखिल दफ्तर हों।

26/9/18

(बी.एल.मेहरड़ा)
राजस्व अपील प्राधिकारी,
अजमेर

आदेश आज दिनाक 26.09.2018 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर सरे इजलास सुनाया गया ।

26/9/18

(बी.एल.मेहरड़ा)
राजस्व अपील प्राधिकारी,
अजमेर